(10)

संख्या– 90 बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1

लखनऊः दिनॉक 28 मई, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–235(1)/35–आ–1/2011, दिनांक 11 फरवरी, 2011 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन की Restoration and lining of Kuthond branch system नामक परियोजना को रू. 2528.38 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 1825.38 लाख+मनरेगा से रू 703.00 लाख) सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 1050.00 लाख की धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त की गई थी, जिसमें से वर्ष 2010–11 में मात्र रू 35.00 लाख का व्यय हुआ है तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वित्तीय वर्ष 2011–12 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रू. 1790.38 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में रू 630.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2012–13 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू 1160.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष रू 320.00 लाख का व्यय हुआ और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2013–14 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू 840.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष रू 180.00 लाख का व्यय हुआ और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर रू 1165.00 लाख का व्यय हुआ है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमन्य रू 1825.38 लाख के सापेक्ष रू 660.38 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु बचती है। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये अवशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष रू 660.38 लाख (रूपये छः करोड़ साठ लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015

तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—32—कुथौंद ब्रांन्च की पुनर्स्थापना/लाइनिंग का कार्य —24—वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि लेखाशीर्ष 4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—03—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—42 —अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश संख्या—यू.ओ—15/35—1—2014 दिनॉक 28 मई, 2014 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी है।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या बी—1—795/दस—2014—231/ 201 दिनॉक 14 मार्च, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या— 90 बी पी (1)/35—1—2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2— महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग
4— प्रमुख सचिव, वित्त।
5— निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6— मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
7— जिलाधिकारी, जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8— मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9— कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10— गार्ड फाईल।
11— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5
12— जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

प्रपत्र – बी.एम.–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम : 40–नियोजन विभाग वित्तीय वर्ष : 2014–2015 (धनराशि हजार रुपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनाँक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–03–बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं–00–42–अन्य व्यय	3150012	3150012	66038	66038	3083974
योग –	3150012	3150012	66038	66038	3083974

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
4575–अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत–02–पिछड़े क्षेत्र–800–अन्य व्यय–04–बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं–32–कुर्सौंद ब्रांन्च की पुनर्स्थापना / लाइनिंग का कार्य –24–वृहद् निर्माण कार्य	1	66039	66038	66038	66039
योग –	1	66039	66038	66038	66039

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

बुन्देलखण्ड पैकेज के लिये एकमुश्त व्यवस्था के सापेक्ष विभिन्न कार्यों की स्वीकृति जारी होने के कारण

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है:—

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन परियोजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु वाँछित धनराशि अपेक्षित है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या : आर.ई–007 / ई–5–778 / दस–2014, दिनाँक : 26 मई, 2014

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग

(देश राज सिंह) 23/5/14
अनु सचिव,
वित्त विभाग

संख्या : UO-15 /35–1–2014, दिनाँक : 28 मई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2– प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3– कोषाधिकारी, झाँसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/हमीरपुर/चित्रकूट/बांदा।
5– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग